

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक अक्टूबर, 2016

विषय:- विशेष कार्य बल (STF) के नवनिर्मित अभियान केन्द्र जमालपुर नये निर्माण कार्य एवं फर्निचर आईटम, ऐ0सी0 का अधिष्ठापन आदि कार्यों के लिए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 86,92,100 (छियासी लाख बानवे हजार एक सौ रू0) की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि 86,92,100 (छियासी लाख बानवे हजार एक सौ रू0) विमुक्त करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), बिहार, पटना के पत्रांक-1650/अभियान, दिनांक-21.09.2016 द्वारा विशेष कार्य बल (STF) के नवनिर्मित अभियान केन्द्र जमालपुर नये निर्माण कार्य एवं फर्निचर आईटम, ऐ0सी0 का अधिष्ठापन आदि कार्यों के लिए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 86,92,100 (छियासी लाख बानवे हजार एक सौ रू0) की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं कुल राशि ₹ 86,92,100 (छियासी लाख बानवे हजार एक सौ रू0) विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है। उक्त राशि का व्यय निम्नांकित कार्यों के लिए किया जाना है :-

Sl.No.	Description	Estimated cost in Rs.
1.	Parking Shed and Gym Hall	2590040
2.	Kitchen shed	1423817
3.	Toilet Block (3 Unit W.C & 3 Unit Bath)	742300
4.	Morcha (3 no.s)	444210
5.	Dining Hall & Multipurpose Hall at ground floor	831065
	Sub total (A)	6031432
6.	Internal electrification @ 10% of A	603143
7.	3 no's 1.5 Tr A/C Unit @ Rs. 52750 each Votas Delux 5 star (y1 Series)	158250
8.	Furniture item (LS)	1100000
9.	R.O Plant 100 Litters capacity (1no.)	230574
	Sub total	8123399
	Add Agency Charge @ 7%	568638
	Grand Total	8692037
	Say	8692100
Eighty Six Lakh Ninty two Thousand One Hundred Only		

2. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 86,92,100 (छियासी लाख बानवे हजार एक सौ रू0) राज्य योजनान्तर्गत मांग संख्या-22 मुख्य शीर्ष-4055-पुलिस पर पुंजीगत परिव्यय उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-051-निर्माण- उपशीर्ष-0101-पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण" विषयशीर्ष-53 01-मुख्य निर्माण कार्य विपत्र कोड-P4055000510101 एवं राज्य योजना स्कीम कोड- HOM - 5420 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी। निर्माण का कार्य बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना द्वारा किया जायेगा तथा राशि की निकासी कर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पी0एल0 खाता में जमा किया जायेगा।

4. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

5. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यकतानुसार कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

7. उपयोगिता प्रमाण-पत्र तीन माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

8. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

9. उपरोक्त पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-6/योजना-01-1023/2012 गृ0आ0 की टिप्पणी पृ0-28/टि0 पर दिनांक-21.10.2016 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0:-6/योजना-01-1023/2012 गृ0आ0...../पटना, दिनांक 27 अक्टूबर, 2016

प्रतिलिपि :-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना/ पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राधा
26/10/16

सरकार के अवर सचिव

मन्मथ
26.10.2016